

प्रेस नोट

दिनांक 29.09.2026

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा लूट की घटना में संलिप्त वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार -

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 05.09.2026 को वादी श्री अंकित गुप्ता पुत्र श्री भरतराम गुप्ता निवासी बालपुर बाजार थाना करनैलगंज, जनपद गोण्डा द्वारा थाना स्थानीय पर सूचना दी गयी कि दिनांक 4.9.2026 को समय करीब 10.30 बजे अपनी दुकान बन्द करके अम्बेडकर चौराहे पर अपने साथी शिवप्रकाश तिवारी जो ऊँचे झंझरी देशी शराब के सेल्स मैन है के साथ बालपुर बाजार जा रहा था की पीछे से दो मोटर साइकिल पर सवार अज्ञात बदमाशों द्वारा हम लोगों को रोककर मेरे साथ अपने हाथ में लिये असलहे से मारपीट किया तथा जान से मारने का धमकी देते हुए मेरा दुकान का कैश लगभग 70000 सत्तर हजार रुपये लूटकर लेकर भाग गये। वादी द्वारा दी गयी लिखित तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली नगर द्वारा सुसंगत धाराओं में मु0अ0सं0 819/26 पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

आज दिनांक 29.09.2026 को थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त की तलाश की जा रही थी। मुखबिर खास की सूचना पर पुलिस टीम द्वारा राजेन्द्र लाहिड़ी चौराहे के पास लूट की घटना में संलिप्त वांछित अभियुक्त आदित्य सिंह पुत्र वंशराज सिंह निवासी ग्राम नरसिंहपुर तहसील हरैया थाना पैगुलिया जिला बस्ती को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. आदित्य सिंह पुत्र वंशराज सिंह निवासी ग्राम नरसिंहपुर तहसील हरैया थाना पैगुलिया जनपद बस्ती।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 819/2026 धारा 310 (2), 317 (3), 126 (2), 351 (3) बी0एन0एस0 थाना को0नगर, जनपद गोण्डा।

बराहदगी -

01. 1700 रुपये नगद

गिरफ्तारकर्ता टीम-

1. उ0नि0 शिवम गुप्ता (चौकी प्रभारी एस0सी0पी0एम0)
2. का0 संदीप यादव
3. का0 आनन्द कुमार

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 29.09.2026

थाना कोतवाली नगर व A.N.T.F. की संयुक्त टीम द्वारा अवैध चरस तस्करी के विरुद्ध कार्यवाही, 10.936 किलोग्राम अवैध चरस (अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करोड़ों रुपये) व तस्करी में प्रयुक्त हुंडई EON कार सहित 01 शातिर अंतर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार

घटना / कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण

मादक पदार्थों की तस्करी एवं अवैध बिक्री के विरुद्ध चलाए जा रहे संघन अभियान के तहत थाना कोतवाली नगर व एएनटीएफ (ANTF) बाराबंकी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की पुख्ता सूचना पर प्रभावी संयुक्त कार्यवाही करते हुए दिनांक 28.09.2026 को रेलवे गेस्ट हाउस के पास (तालाब की तरफ जाने वाली सड़क), गोंडा से एक अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ तस्कर गिर्जेश कुमार वर्मा को गिरफ्तार के उसके कब्जे से 10.936 किलोग्राम अवैध चरस (कुल 21 पैकेट), तस्करी में प्रयुक्त चार पहिया वाहन (हुंडई EON कार) तथा 01 अदद मोबाइल फोन बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय रवाना किया गया।

पूछताछ का संक्षिप्त विवरण

अभियुक्त गिर्जेश कुमार वर्मा ने पूछताछ में स्वीकार किया कि वह अवैध चरस की यह खेप बिहार के खजुरिहा से कम दामों में खरीदकर लाता है और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में ऊंचे दामों पर बेचता है। तस्करी के लिए वह उत्तम सक्सेना नामक व्यक्ति से ₹2000 प्रतिदिन के किराये पर हुंडई EON कार लेकर चला रहा था। वह गोंडा में ग्राहक को माल डिलीवर करने की फिराक में था, तभी संयुक्त टीम द्वारा घेराबंदी कर पकड़ा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

1. गिर्जेश कुमार वर्मा पुत्र राघव राम वर्मा, निवासी ग्राम बिसवां गनेश, थाना कोतवाली देहात, जनपद गोंडा।

पंजीकृत अभियोग

1. मु0अ0सं0 890/2026 धारा 8/20 NDPS Act व 60 स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम थाना कोतवाली नगर, जनपद गोंडा।

बरामदगी का विवरण

1. अवैध चरस: 10.936 किलोग्राम
2. चार पहिया वाहन: 01 अदद हुंडई EON कार (सफेद रंग)
3. मोबाइल फोन: 01 अदद ओप्पो (Oppo)

गिरफ्तारकर्ता टीम

थाना एएनटीएफ (ANTF) टीम, बाराबंकी:

1. उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार सिंह (टीम प्रभारी)
2. उ0नि0 श्री पुरुषोत्तम विश्वकर्मा
3. उ0नि0 श्री मनीष कुमार दुबे

- 4.हे0का0 आलोक कुमार सिंह
- 5.हे0का0 आदिल हाशमी
- 6.हे0का0 वेदप्रकाश दुबे
- 7.हे0का0 सुनील राय
- 8.का0 कृष्ण कुमार यादव
- 9.का0 अमरपाल
- 10.का0 गौरव तिवारी

थाना कोतवाली नगर / चौकी बड़गांव टीम, गोंडा:

- 1.उ0नि0 श्री अजय कुमार सिंह (चौकी प्रभारी बड़गांव)
- 2.उ0नि0 श्री उमाशंकर उपाध्याय
- 3.का0 विवेक कुमार रावत
- 4.का0 आदित्य सिंह
- 5.का0 उत्तम दीक्षित

मीडिया सेल,गोण्डा ।

प्रेस नोट

दिनांक 29.09.2026

थाना परसपुर पुलिस द्वारा छिनैती करने के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, छिनैती का मोबाइल फोन बरामद-

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 18.09.2026 को वादी श्री बबलू गोस्वामी पुत्र राजेन्द्र प्रसाद ग्राम नचनी थाना कोतवाली करनैलगज गोण्डा द्वारा थाना परसपुर पर लिखित तहरीर दी गयी कि दिनांक 17.09.26 को वह अपनी आटो गाडी से परसपुर से करनैलगज वापस जा रहा था कि अमृत पुरी बाबा स्थान ब्रह्मचारी के पास विपक्षीगण 1.अमित पुत्र अज्ञात ग्राम तरई पुरवा बसन्तपुर 2. अरविन्द पुत्र अज्ञात ग्राम नये पुरवा बसन्तपुर थाना गोण्डा - परसपुर - व 3. शहजाद पुत्र ईदू निवासी ग्राम रमडी कुडिया बसन्तपुर थाना परसपुर झप्पट्टा मारकर उसका टच स्क्रीन मोबाइल व 700 सौ रुपया छीनकर फरार हो गये। वादी बबलू गोस्वामी उपरोक्त द्वारा दी गयी लिखित तहरीर के आधार पर थाना परसपुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही -

आज दिनांक 29.09.2026 को थाना परसपुर पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्तों की तलाश की जा रही थी। मुखबिर खास की सूचना पर पुलिस टीम द्वारा नयापुरवा मौजा बसन्तपुर थाना परसपुर के पास से छिनैती करने के आरोपी अभियुक्त अरविन्द कश्यप पुत्र जगप्रसाद निवासी नयापुरवा मौजा बसन्तपुर थाना परसपुर जनपद गोण्डा को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना परसपुर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. अरविन्द कश्यप पुत्र जगप्रसाद निवासी नयापुरवा मौजा बसन्तपुर थाना परसपुर जनपद गोण्डा

बरामदगी-

1. 01 अदद मोबाइल

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 421/26 धारा 304 (2) BNS थाना परसपुर जनपद गोण्डा

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 अमित कुमार गुप्ता

02.उ0नि0 आकाश दीप

03. आ० सुबेन्द्र सिंह

04. रि०आ० आलम

मीडिया सेल, गोण्डा।

नोट

दिनांक 29.09.2026

‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत प्रभावी से गैंगस्टर को हुई 10 वर्ष का सश्रम कारावास व रुपये 5,000 /— के अर्थदण्ड की सजा—

घटना का संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 02.09.2026 को थाना मनकापुर में गैंगस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसमें थाना मनकापुर पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के आरोपी अभियुक्त डाक्टर उर्फ रंगा उर्फ प्रदीप उर्फ विनय को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था तथा दिनांक 07.05.2013 को अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय खाना में दाखिल किया गया था।

दोषसिद्धि का विवरण—

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम में थाना मनकापुर में पंजीकृत अभियोग में मॉनिटरिंग सेल, अभियोजक श्री उदय प्रताप वर्मा, कोर्ट मोहररिं का0 अरुण वर्मा व थाना मनकापुर के पैरोकार हेड का0 बृजेश गुप्ता की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आज दिनांक 29.09.2026 को दोषी अभियुक्त डाक्टर उर्फ रंगा उर्फ प्रदीप उर्फ विनय को अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश महोदय श्री मनोज कुमार द्वारा दोषसिद्ध करते हुए 10 कारावास व 5,000 /— रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

अभियुक्त का विवरण—

01. डाक्टर उर्फ रंगा उर्फ प्रदीप उर्फ विनय पुत्र दुखहरन नि0 विशुनीपुर मौजा समदा थाना गोसाईगंज जनपद अयोध्या।

अभियोग का विवरण—

01. मु0अ0सं0—262 / 2012 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।

मीडिया सेल, गोण्डा।